न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्या :–06/2018

1. संजय खण्डूजा } पुत्रगण प्रेमकुमार पुत्र धारूराम
2. गिरीश कुमार }
3. उषा पुत्री प्रेमकुमार
4. जमुना रानी पत्नि स्व0 प्रेमकुमार समस्त जाति खत्री निवासी करबा नदबई जिला भरतपुर।

....अपीलान्टस

बनाम

1. नीरज
2. पंकज } पुत्रगण हरिशंकर जाति ब्राहाम्ण निवासी करबा नदबई जिला भरतपुर।
3. नवदीप

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्व आदेश विरूद्व तहसीलदार नदबई दिनांक 24.05.2005 बाबत् नामान्तकरण संख्या 74,75 व 77 वाके नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

———

उपस्थितः–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अधिवक्ता अपीलान्टस
2. श्री गोविन्द सिंह डागुर अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 30.11.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम) विरूद्व नामान्तकरण संख्या 74, 75 व 77 वाके नदबई तहसील नदबई आदेश दिनांक 24.05.2005 द्वारा तहसीलदार नदबई प्रस्तुत किया गया है। अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार नदबई द्वारा नामान्तकरण संख्या 74,75 व 77 तीनो एक ही दिन दिनांक 24.05.2005 स्वीकृत किये गये है, जिनकी अपीलान्ट द्वारा एक अपील में चुनौती दी गई है। अपील में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 870/0.10 व 874/0.13 वाके ग्राम कस्बा नदबई तहसील नदबई बाबत् नामान्तकरण संख्या 74,75 व 77 विधि

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

एवं तथ्य विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। विवादित आराजी साविक खसरा नम्बरान 650/0.10,763/1.10, 1433/0.18 के नये खसरा नम्बरान 874/0.13, 1000/0.40, 1825/0.16 बनाये गये है जो कि अपीलार्थी के पूर्वज होतूमल पुत्र हेमूमल कोम शरणार्थी की विधिवत् रूप से आवंटित कस्टोडियन की भूमि रही है। जिस पर तहत न्यायालय ने विधिवत् रूप से आवंटित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के हक में आंवटन मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलार्थी के पूर्वज आवंटित भूमि पर निरंतर काश्त करते आ रहे है। इन्तकाल नम्बर 74 से अपीलार्थी को आंवटित गैर खातेदारी भूमि को उनकी खातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज करने आदेश दिया गया जो कि कतई गलत है। सिवायचक दर्ज होने के बाद नामान्तकरण संख्या 75 के द्वारा जो रेसपो0 के पिता हरीशंकर के नाम आंवटन दिखाकर गैर खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, वह आधारहीन है। क्योंकि अभिलेख ऐसा कोई आवंटन आदेश वहक स्व0 हरीशंकर नही है, दूसरा सिवायचक भूमि का आवंटन कस्टोडियन भूमि के आंवटन नियमों 1963 के तहत नही किया जा सकता है। नामान्तकरण संख्या 77 स्वीकृत किया गया है जो कि गैर खातेदार से खातेदार के लिये किया है। तीनो नामान्तकरण एक ही दिनांक 24.05.2005 को स्वीकृत किये गये है। इस तरह गैर खातेदार के बाद खातेदारी अधिकार नियमों की पूर्णरूपेण पालना होने पर 10 वर्ष अवधि के पश्चात् दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जबकि अपीलार्थी विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार काविज है। यह उनकी पुश्तैनी आंवटित भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश बने रहने से उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा अपीलार्थी द्वारा धारा 5 म्याद प्रार्थना पत्र व 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्टस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपील के विरूद्व एक प्राथमिक एतराज प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्राथमिक एतराज प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा अपने एतराज प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि नामान्तकरण संख्या 74,75 व 77 वाके नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर तीन नामान्तकरणों के विरूद्व एक ही अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है जो कि कानूनन प्रत्येक नामान्तकरण की अलग–अलग अपील किया जाना आवश्यक है। इसलिए उक्त अपील मैन्टेनेबिल न होने से काबिल खारिजी के है। प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट स्वीकार किये जाने व अपील अपीलांटान मैन्टेनेबिल नहीं होने से खारिज फरमायी जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थीगण द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के सबंध में कथन किया है कि मुख्य नामान्तकरण संख्या 74 है जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की है तथा अन्य नामान्तकरण पश्चातवर्ती के है जो कि उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी आराजी को लेकर हुये है। इसलिए उनके विरूद्व पृथक से अपील प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नामान्तकरण संख्या 74 के निरस्त होने पर अन्य पश्चातवर्ती नामान्तकरण स्वतः निरस्त हो जावेगा। प्रार्थना पत्र रेस्पो0 खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टान द्वारा अपील में नामान्तकरण संख्या 74,75 व 77 को निरस्त किये जाने की प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण के एतराज प्रार्थना पत्र के समर्थन में नजीर पेश की गई जिनमें 2017(2) आरआरटी 1281, 1994 आरआरडी 674, 1994 आरआरडी 85, 1983 आरआरडी 811 तथा 2017 (2) डीएनजे 839 राज0 एवं 1999 आरबीजे 192 पेश की है। अभिभाषक अपीलान्टस द्वारा अपील के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 300–301 पेश किये। प्रस्तुत दृष्टान्तों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभिन्न निर्णयों के विरूद्व एक अपील मैन्टेनेबिल नही होती है। यहां पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है। पृथक–पृथक अपील किया जाना ही विधि सम्मत होने के कारण अप्रार्थीगण का एतराज प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की स्थिति में अपील अपीलान्ट चलने योग्य नही रहती है। अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर